



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2013/श्रावण 30, 1935

No. 184]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2013/SRAVANA 30, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2013

फा. सं.ए.50050/47/2013-प्रशा.।.—सरकार ने अपने वर्ष 2013-14 के बजट में, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में कर नीतियों और कर कानूनों के अनुप्रयोजन की समीक्षा करने और कर प्रशासन की प्रभाविता और कुशलता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित सुधारों के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) की स्थापना की घोषणा की थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित संरचना के साथ-साथ कर प्रशासन सुधार आयोग गठित किया जाए:

i)	डा. पार्यसारथि शोम	अध्यक्ष
ii)	श्री वाई.जी. परांडे	पूर्णकालिक सदस्य
iii)	सुश्री सुनीता कैला	
iv)	श्री एम.के. जुत्शी	अंश-कालिक सदस्य
v)	श्री एस.एस.एन. मूर्ति	
vi)	श्री एम.आर. दिवाकर	
vii)	श्री एस. महालिंगम	

2. आयोग का 18 महीने का नियत कार्यकाल होगा और यह वित्त मंत्रालय को सलाह देने वाले निकाय के रूप में काम करेगा। आयोग अपनी संस्तुतियों का प्रथम समूह अपने गठन के छह माह के भीतर देगा और इसके पश्चात प्रत्येक तीन माह के बाद आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :
- क. मौजूदा तंत्र की समीक्षा करना और कार्यात्मक आवश्यकताओं, क्षमता निर्माण, सतर्कता प्रशासन, मानव संसाधन के उततरदायित्व और जवाबदेही, निष्पादन के प्रमुख संकेतकों, मूल्यांकन, रेडिंग और पदोन्नति प्रणालियों के अनुरूप जनशक्ति की तैनाती के विशेष संदर्भ के साथ कर शासन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे और नीति के उच्चतम स्तरों पर गुणवत्ता पूर्ण निर्णय लेने को बढ़ावा देने संबंधी ढांचों की सिफारिश करना ।
- ख. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने सहित कर शासन की मौजूदा व्यवसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और भारतीय संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कर शासन के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
- ग. समय और अनुपालन लागत के मद्देनजर विवाद समाधान के मौजूदा तंत्र की समीक्षा करना और इसे सुदृढ़ करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।  
इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कराधान भी शामिल हैं ।
- घ. मौजूदा तंत्र की समीक्षा करना और नई नीति के संबंध में करदाताओं की अनुपालन लागत पर कराघात मूल्यांकन विवरणों को तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण के उपायों और कर विभागों के लिए प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करना ।
- ङ. मौजूदा तंत्र की समीक्षा करना और कर आधार व करदाता आधार को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के लिए सिफारिश करना ।
- च. मौजूदा तंत्र की समीक्षा करना और करों व करदाताओं के आकार, खंड और प्रकृति द्वारा बेहतर कर अनुपालन को लागू करने के लिए ऐसी प्रणाली की सिफारिश करना जिसमें स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के तरीके शामिल हों ।
- छ. मौजूदा तंत्र की समीक्षा करना और उन्नत करदाता सेवाओं और करदाता शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपायों की सिफारिश करना । इसमें शिकायत निपटान, शुल्क की प्रति अदायगी का सरलीकृत और समयबद्ध निपटान, निर्यात प्रोत्साहनों, दोष निवारण पद्धतियों, कर प्रतिदेयों इत्यादि के लिए तंत्र शामिल हैं ।
- ज. वर्तमान तंत्र की समीक्षा करना तथा सीमा नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय डाटा विनिमय तथा पूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के संबंध में सीमा शुल्क प्रशासन के नए उभरने वाले क्षेत्रों में 'क्षमतानिर्माण' के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
- झ. वर्तमान तंत्र की समीक्षा करना तथा केवल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के बीच ही नहीं बल्कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू), प्रवर्तन निदेशालय आदि में अंतर-एजेंसी सूचना साझा करने तथा डाटाबेस के सुदृढ़ीकरण हेतु उपायों की सिफारिश करना तथा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सूचना के उपयोग के लिए उपकरणों का प्रयोग करना ।
- ञ. वर्तमान तंत्र की समीक्षा करना तथा राजस्व के लक्ष्यों के पूर्वानुमान, विश्लेषण तथा मॉनिटरिंग हेतु स्टाफ संसाधन सहित उचित साधनों की सिफारिश करना ।
- ट. मौजूदा नीति की समीक्षा करना तथा कर शासन के लिए अनुसंधान निविष्टियों हेतु उपायों की सिफारिश करना ।
- ठ. वर्तमान तंत्र की समीक्षा तथा कर/आर्थिक अपराधों का पता लगाने तथा इन्हें रोकने के लिए अनुमानित विश्लेषण को बढ़ाने हेतु उपायों की सिफारिश करना ।
- ड. कोई अन्य मुद्दा, जिसे सरकार आयोग के कार्यकाल के दौरान निर्धारित कर सकती है।

4. आयोग की सहायता के लिए सचिवालय होगा जिसमें भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के सचिव होंगे और अन्य अधिकारी एवं सहायक स्टाफ होगा। इन्हें प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
5. आयोग को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड का मात्रात्मक डाटा एवं सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि वह संस्तुतियां करने के लिए अपना सांख्यिकीय विश्लेषण कर सके।
6. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

मदन लाल मीणा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2013

**F.No.A.50050/47/2013-Ad.I.**—The Government in its Budget, 2013-14, had, inter-alia, announced the setting up of a Tax Administration Reform Commission(TARC) with a view to reviewing the application of Tax Policies and Tax Laws in the context of global best practices and recommend measures for reforms required in Tax Administration to enhance its effectiveness and efficiency. Accordingly, it has been decided to constitute the Tax Administration Reform Commission with the following composition:

i)	Dr. ParthasarathiShome	Chairman
ii)	Shri Y. G. Parande	Full-time Members
iii)	Ms. Sunita Kaila	
iv)	Shri M.K. Zutshi	
v)	Shri S.S.N. Moorthy	Part-time Members
vi)	Shri M.R. Diwakar	
vii)	Shri S. Mahalingam	

2. The Commission will have a fixed tenure of 18 months from the date of its constitution and work as an advisory body to the Ministry of Finance. The Commission will give its first set of recommendations within six months of its constitution and thereafter submit periodic reports after every three months.
3. The Terms of Reference of the Commission will be as follows:-
  - a. To review the existing mechanism and recommend appropriate organizational structure for tax governance with special reference to deployment of workforce commensurate with functional requirements, capacity building, vigilance administration, responsibility and accountability of human resources, key performance indicators, assessment, grading and promotion systems, and structures to promote quality decision making at the highest policy levels.
  - b. To review the existing business processes of tax governance including the use of information and communication technology and recommend measures for tax governance best suited to Indian context.
  - c. To review the existing mechanism of dispute resolution covering time and compliance cost and recommend measures for strengthening the same. This includes domestic and international taxation.

- d. To review the existing mechanism and recommend capacity building measures for preparing impact assessment statements on taxpayers compliance cost of new policy and administrative measures of the tax Departments.
  - e. To review the existing mechanism and recommend measures for deepening and widening of tax base and taxpayer base.
  - f. To review the existing mechanism and recommend a system to enforce better tax compliance - by size, segment and nature of taxes and taxpayers, that should cover methods to encourage voluntary tax compliance.
  - g. To review the existing mechanism and recommend measures for improved taxpayer services and taxpayers education programme. This includes mechanism for grievance redressal, simplified and timely disbursement of duty drawback, export incentives, rectification procedures, tax refunds etc.
  - h. To review the existing mechanism and recommend measures for "Capacity building" in emerging areas of Customs administration relating to Border Control, National Security, International Data Exchange and securing of supply chains.
  - i. To review the existing mechanism and recommend measures for strengthening of Database and Inter-agency information sharing, not only between Central Board of Direct Taxes(CBDT) and Central Board of Excise and Customs(CBEC) but also with the banking and financial sector, Central Economic Intelligence Bureau (CEIB), Financial Intelligence Unit (FIU), Enforcement Directorate etc. and use of tools for utilization of such information to ensure compliance.
  - j. To review the existing mechanism and recommend appropriate means including staff resources for forecasting, analysis and monitoring of revenue targets.
  - k. To review the existing policy and recommend measures for research inputs to tax governance.
  - l. To review the existing mechanism and recommend measures to enhance predictive analysis to detect and prevent tax/economic offences.
  - m. Any other issue which the government may specify during the tenure of the Commission.
4. The Commission will be supported by a Secretariat consisting of a Secretary at the level of Joint Secretary to the Government of India and other officials and support staff. They will be appointed on deputation/contract basis.
  5. The Commission will be provided information and quantitative data of Central Board of Direct Taxes /Central Board of Excise and Customs to enable it to do statistical analysis for making recommendations.
  6. The Headquarters of the Commission will be in Delhi.

M.L. MEENA, Jt. Secy.